

खबर संक्षेप

जिले भर में आयोजित किए जा रहे कृषि शिविर
शहडोल। खरीफ फसल के पूर्व किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत नवीन एवं उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने हेतु जिले में 29 मई से 12 जून तक कृषि शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 31 मई को सोहागपुर जनपद पंचायत में कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति के मार्गदर्शन में ग्राम रामपुर, लेदरा एवं बरेली में जनपद पंचायत बुढ़ार में कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति के मार्गदर्शन में गिरवा, ढोलकू एवं खाम्हीडोल में कृषि शिविर आयोजित किए जाएंगे।

ग्रामों में कृषि शिविरों का किया गया आयोजन



शहडोल। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिले में कृषि विभाग तथा सहयोगी विभागों कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी तथा मत्स्यपालन विभाग के अमले द्वारा बुढ़ार, सोहागपुर तथा गोहपारू जनपद पंचायतों के तीन-तीन ग्रामों में कृषि शिविरों का आयोजन किया गया। सोहागपुर जनपद पंचायत में कृषि वैज्ञानिक डॉ. अल्पना शर्मा के मार्गदर्शन में सिंदुरी चुनिया, कठौतिया, तथा मझगांव ग्रामों में बुढ़ार जनपद पंचायत में कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति के मार्गदर्शन में सेमरिया, पकरिया एवं जरवाही ग्राम में तथा गोहपारू जनपद पंचायत में दियापीपर, असवारी तथा पैलवाह ग्रामों में शिविरों का आयोजन कर कृषि संबंधी जानकारी दी गई तथा किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया।

तीन-तीन ग्रामों में कृषि शिविरों का किया गया आयोजन



शहडोल। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिले में कृषि विभाग तथा सहयोगी विभागों कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी तथा मत्स्यपालन विभाग के अमले द्वारा बुढ़ार, सोहागपुर तथा गोहपारू जनपद पंचायतों के तीन-तीन ग्रामों में कृषि शिविरों का आयोजन किया गया। सोहागपुर जनपद पंचायत में कृषि वैज्ञानिक डॉ. अल्पना शर्मा के मार्गदर्शन में सोहागपुर जनपद पंचायत में पचगांव, केलमनिया, तथा पठरा में, बुढ़ार जनपद पंचायत में कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति के मार्गदर्शन में ग्राम साबो, झगरहा तथा चाका में तथा गोहपारू जनपद पंचायत में कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति के मार्गदर्शन में ग्राम देवदहा, गोहपारू तथा खाम्हा में शिविरों का आयोजन कर कृषि संबंधी जानकारी दी गई तथा किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया। शिवर में किसानों को खेती को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी गई तथा खेती की उन्नत तकनीक, फसलों के आधुनिक और उन्नत बीज, कृषि में किए जा रहे नवाचार, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण के संबंध में भी किसानों को जानकारी दी गई।

जिले भर में आयोजित किए जा रहे कृषि शिविर
शहडोल। खरीफ फसल के पूर्व किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत नवीन एवं उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने हेतु जिले में 29 मई से 12 जून तक कृषि शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 01 जून 2025 को सोहागपुर जनपद पंचायत में कृषि वैज्ञानिक डॉ. अल्पना शर्मा के मार्गदर्शन में ग्राम जोधपुर, सिंहपुर तथा बोड़ी में गोहपारू जनपद पंचायत में कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति के मार्गदर्शन में केरावाही, कुम्हारी तथा कुड्डी में कृषि शिविर आयोजित किए जाएंगे।

पुलिस की पारदर्शिता की ओर कदम, थानों में शुरू हुआ क्यूआर कोड से फीडबैक क्यूआर कोड से आम जनता को मिलेगा त्वरित न्याय



हरिभूमि, शहडोल। थाने में यदि पुलिस ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, आपके पुराने मामलों को तेजी से नहीं निपटया या फिर किसी झूठे मुकदमे में आपको फंसाने की साजिश हो रही है तो, आप सीधे अपनी बात पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा सकेंगे। थानों की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए एक नवाचार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों के क्यूआर कोड तैयार कराए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन कर आमजन पुलिस के संबंध में अपना फीडबैक दे सकेंगे। यह फीडबैक सीधे एसपी तक पहुंचेगा। इस तरह के सुधारात्मक

और सकारात्मक प्रयास निस्संदेह स्वागतयोग्य होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर इनका दम न उखड़े तो और भी अच्छी बात होगी। 01 जून से शहडोल पुलिस द्वारा क्यूआर कोड के माध्यम से जनता से फीडबैक लेने की पहल की गई है। पुलिस महानिरीक्षक अनुराग शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव द्वारा क्यूआर कोड का लोकार्पण किया गया। इससे जनता पुलिस के व्यवहार और थाने की कार्यप्रणाली के बारे में सीधे पुलिस अधीक्षक को फीडबैक दे सकती है। आप भी इस पहल का हिस्सा बन सकते हैं और अपने फीडबैक

के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए योगदान दे सकते हैं, यह फीडबैक पुलिस के व्यवहार और उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जिले में सभी थानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे आमजन पुलिस के संबंध में अपना फीडबैक सीधे एसपी को दे सकते हैं, यह फीडबैक सीधे एसपी तक पहुंचेगा और जनता अपनी राय व्यक्त कर सकती है।

ऐसे काम करेगा क्यूआर कोड
थानों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं, मोबाइल फोन

से इन क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करने के बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म दिखाई देगा, आप इस फॉर्म में पुलिस के व्यवहार, थाने की साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाओं और अपने मामले की प्रगति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपका फीडबैक सीधे पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा। जनता के फीडबैक के आधार पर पुलिस प्रशासन पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकता है। पुलिस के व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। थाने की सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है। जनता को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है और वे संतुष्ट महसूस हैं। पुलिस अपनी कार्यप्रणाली के बारे में जनता को जानकारी देता है और अपनी पारदर्शिता को दर्शाता है।

कॉल कर ली जायेगी जानकारी

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 'नाम व नंबर दर्ज करने के बाद इसमें पूछा जाएगा कि थाने पर आने के बाद संबंधित व्यक्ति का ओवरऑल अनुभव कैसा रहा। इसमें अलग-अलग ऑप्शन आएंगे जिसमें अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा और बहुत बुरा शामिल रहेगा। यह भी दर्ज करना होगा कि वह थाने

पर किससे मिले और किस काम से आए थे।अलग-अलग व्यक्ति फीडबैक भरकर सबमिट करेगा तो वह सीधे एसपी कार्यालय आएगा। यहां टीम तैनात रहेगी जो पूरा डेटा तैयार करेगी। फर्जी फीडबैक न भरवाए जाएं, इसलिए व्यक्ति से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कॉल कर जानकारी ली जाएगी।

हर थाने में लगेगा क्यूआर कोड
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अगर बुरा या बहुत बुरा की बात दर्ज करता है तो, कारण पूछा जाएगा। अगर फीडबैक में बात आती है कि पुलिसकर्मी ने गंभीर कदाचरण किया है तो, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। जून माह के फीडबैक के आधार जुलाई में हम थानों की रैंकिंग भी इसी आधार पर तय करेंगे। कप्तान ने बताया कि जिले के समस्त थाना प्रभारियों को क्यूआर कोड वितरित किए। सभी थानों के अलग-अलग क्यूआर कोड बनाए गए हैं, जिन्हें थाने के मुख्य द्वार पर लगाया जायेगा। आमजन बता सकेंगे कि थाने में आने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ। जनता द्वारा दिए गए फीडबैक को भी थानों की मासिक रैंकिंग में शामिल किया जाएगा।

जन सुनवाई भी बन गई सरकारी पाखंड, पीड़ित को नहीं मिलती राहत

प्रक्रिया से उठ रहा जनमानस का गरोसा, शिकायतें घट रहीं

शहडोल। समस्याओं से जूझती आम जनता को एक भरोसेमंद न्याय पद्धति से जोड़कर उसे शीघ्रता से राहत दिलाने के लिए मप्र सरकार ने जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन निक्कमे मैदानि अमले ने जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम में भी पलीता लगाकर रख दिया है। हैरानी की बात है कि सुनवाई के दौरान बड़े अफसर छोटे अधिकारियों को मामले में फौरन कार्रवाई के निर्देश देते हैं, लेकिन छोटे अफसर उसमें ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझते हैं। फरियादियों को न्याय मिलने में कोई सहूलियत नहीं मिल पाती है। लोगों को एक ही समस्या के लिए बार-बार आवेदन लगाना पड़ता है। जनसुनवाई के आवेदनों को भी लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। आम आदमी को सही काम के लिए भी रिश्तत देनी पड़ती है। बड़े अधिकारी यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि उनके जनसुनवाई में कितने हिराप्रहितयों को न्याय मिल सका है। कुल मिलाकर मंगलवार के दिन आयोजित होने वाला जनसुनवाई कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी कर्मकाण्ड बन कर रह गया है।

निराकरण करने अधिकारी गंभीर नहीं
समस्याओं और विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए आयोजित जनसुनवाई धीरे धीरे बेअसर होती जा रही है। क्योंकि इस कार्यक्रम को शासन के अयोग्यता के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा शोध के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। प्रो. मनीषा शुक्ला ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया में रिसर्च किया है यहां पर मेरा काम टीचिंग एवं रिसर्च का है शहडोल रीजन में सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिस्जी संबंधी समस्याएं बहुतायत में है। विगत द्वाई साल से मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। अब तक किये गए शोध कार्यों को मैंने एमपी सीएसटी यंग साइंटिस्ट अवार्ड में प्रस्तुत किया। जहां मेरे शोध को सराहा गया तथा मुझे प्रथम यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला जिसमें मुझे 25 हजार नगद तथा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस बीमारी में सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को और उनके बच्चों को होती है, उनको पता भी नहीं चल पाता है। जन सामान्य को विशेषकर सिकल सेल पीड़ित लोगों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी का अभाव रहता है। मैंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इस दौरान मैंने बहुत सारी केस स्टडी लिखीं, उन बच्चों से मिली और उनके बारे में जाना कि वे सिकल सेल एनिमिया से पीड़ित होने पर कौन-कौन सी परेशानियों से गुजरते हैं और उन चीज को मैंने अपने काम में दिखाया साथ में पैथोलॉजिकल स्टडी भी की।

सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन के लिए प्रो. मनीषा शुक्ला ने निभाई महती भूमिका यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड से हो चुकी है सम्मानित

शहडोल। सिकल सेल एनिमिया एक अनुवांशिकी बीमारी है, इसकी शेकथाम के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है और सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन के लिए उत्कृष्ट कार्य वाले वैद्यक्तियों को सम्मानित भी कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में सिकल सेल एनिमिया की निःशुल्क जांच कराई जाती है। सिकल सेल एनिमिया को जड़ से खत्म करने के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। सिकल सेल एनिमिया को जड़ से खत्म करने के लिए स्कूली छात्र-छात्राएं, महिलाएं, समाजसेवी व अन्य लोगों द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाकर सिकल सेल एनिमिया के बारे में जागरूक किया जाता है। संगामीय मुख्यालय शहडोल के पं. शंभूनाथ विश्व विद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डॉ. मनीषा शुक्ला ने सिकल सेल एनिमिया के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा शोध के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। प्रो. मनीषा शुक्ला ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया में रिसर्च किया है यहां पर मेरा काम टीचिंग एवं रिसर्च का है शहडोल रीजन में सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिस्जी संबंधी समस्याएं बहुतायत में है। विगत द्वाई साल से मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। अब तक किये गए शोध कार्यों को मैंने एमपी सीएसटी यंग साइंटिस्ट अवार्ड में प्रस्तुत किया। जहां मेरे शोध को सराहा गया तथा मुझे प्रथम यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला जिसमें मुझे 25 हजार नगद तथा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस बीमारी में सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को और उनके बच्चों को होती है, उनको पता भी नहीं चल पाता है। जन सामान्य को विशेषकर सिकल सेल पीड़ित लोगों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी का अभाव रहता है। मैंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इस दौरान मैंने बहुत सारी केस स्टडी लिखीं, उन बच्चों से मिली और उनके बारे में जाना कि वे सिकल सेल एनिमिया से पीड़ित होने पर कौन-कौन सी परेशानियों से गुजरते हैं और उन चीज को मैंने अपने काम में दिखाया साथ में पैथोलॉजिकल स्टडी भी की।



प्राप्त कर सकें, लेकिन होता यह है कि बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी पर जिम्मेदारी डालकर इतिश्री कर लेते हैं। उनका आशय यह नहीं होता है कि जो आदिवासी अभी भोज से लौटा है, उसकी हालत कैसी है। वास्तव में इस और काफी ध्यान देने की जरूरत है कि जिससे तत्काल लोगों को जनसुनवाई का लाभ प्राप्त हो सके। मप्र सरकार द्वारा जनसुनवाई इसलिए शुरू की थी कि लोगों को सहज, सुलभ और जल्दी न्याय मिल सके, लेकिन शहडोल में जनसुनवाई को अधिकारियों ने मजाक बना दिया है। लोग बड़ी उम्मीद लेकर जनसुनवाई में आते हैं, लेकिन यहां न्याय नहीं मिलने पर दुःखी मन से घर लौटते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वरिष्ठ अधिकारी फरियादी की शिकायत देखकर उसे संबंधित विभाग की ओर खिसका देते हैं, लेकिन यह जानने का प्रयास कभी नहीं किया जाता कि जनसुनवाई में आये हुए फरियादी को न्याय मिला की नहीं, जिसके चलते धीरे-धीरे जनसुनवाई में आने वाले लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है।

ढकोसला बन गई जनसुनाई
जनसुनवाई में जिस ढंग से आवेदनों पर विचार

होता है और अफसर अधीनस्थों को आदेश देते हैं वह अब अधिक कारगर नहीं है। न तो अधिकारी आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हैं और न ही वे अधिकारियों का भी कहना मानते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हुए निपटारों की जानकारी भी भ्रामक रूप से परोसी जाती है। बड़े अधिकारी सूचना भले देते हों, लेकिन अधीनस्थ लोग सुनते ही नहीं हैं। सब अपने मन की करते हैं, अधिकारी अपने अधिनस्थों से भी कड़ाई करके कोई निर्देश नहीं देते। एक समस्या के लिए निर्देश दिया गया तो उसे समय से भेज दिया जाए। लोगों को फरियाद लगाने के लिए बार-बार जनसुनवाई में आना पड़ता है।

प्रभावित है कार्यक्रम
शासन की न्याय व जांच प्रक्रियाएं लगभग बुरी तरह प्रभावित हैं, इनमें केवल भ्रष्टाचारियों को लाभ मिलता है। जनसुनवाई में भी यही होता है। आवेदन दिया जाता है, मौखिक रूप से भी साहब को समस्या बताई जाती है, साहब, सम्बन्धित अधिकारी को फोन लगाकर उससे जानकारी लेते हैं और फिर उसे ही निर्देश देते हैं कि फौरन कार्रवाई की जाए। इसके बाद संबंधित अधिकारी साहब की बात को अनसुनी कर केवल अपने ही मन की करता है। साहब भी दुबारा संबंधित अधिकारी से नहीं पूछते कि कार्रवाई कहाँ तक पहुंची। कुल मिलाकर जनसुनवाई में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने में महीनों का समय लग जाता है, इसके बाद भी कार्रवाई को तोड़ मरोड़ कर पूर्ण कर दिया जाता है और पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है।

जमीनी विवाद को लेकर महिला को किया गंभीर घायल

शहडोल। जिले के देवलौद थाना क्षेत्र में जमीनी बात पर खूनी संघर्ष में महिला घायल हुई है। घटना में महिला जिंदगी और मौत के बिच अस्पताल में जंग लड़ रही है। आरोपी महिला का जेट है। घटना के बाद से आरोपी फरार है।

पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। महिला संगीता के सर पर आरोपी ने लाठियों से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। महिला अपनी खाली जमीन पर निर्माण करा रही थी तभी यह विवाद हुआ है।

लाठी से किया वार

पुलिस ने बताया कि देवलौद थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। महिला संगीता कोल



अपनी खाली पड़ी जमीन पर निर्माण करवाने के लिए ईंट गिरवाई हुई थी, तभी पड़ोस में रह रहे महिला का जेट रामलोचन कोल मौके पर आ पहुंचा और महिला से विवाद करने लगा, कि तुमने यहां ईंट क्यों गिरवाया है। महिला ने आरोपी को समझाने की कोशिश की, यह खाली जमीन मेरे हिस्से में है। मेरे पति के मौत के बाद अब यह मेरी हो गई , लेकिन आरोपी राम लोचन मानने को तैयार नहीं था और विवाद करते-करते पास में पड़े डंडे को उठाकर महिला संगीता को पीटना शुरू कर दिया। महिला ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन पारिवारिक विवाद में कोई बीच बचाव करने आगे नहीं बढ़ा, तभी आरोपी ने महिला संगीता के सर पर गंभीर वार कर दिया, लाठी के वार से महिला का सर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही अचेत हो गई।

पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। महिला संगीता के सर पर आरोपी ने लाठियों से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। महिला अपनी खाली जमीन पर निर्माण करा रही थी तभी यह विवाद हुआ है।

हत्या के प्रयास का प्रकरण कायम
एक स्थानीय युवक ने समझदारी का परिचय दिया और पुलिस की डायल हंड्रेड को इसकी जानकारी दी, खून से लथपथ तड़प रही महिला को

मौके से किसी ने उठाने के की कोशिश भी नहीं की, लोगों को डर था कि महिला को अगर कुछ हो जाता है तो, उन पर कोई समस्या ना आ जाए। इस डर की वजह से महिला का काफी खून मौके पर गिर गया और घटना करने के बाद आरोपी भी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों के अनुसार महिला अकेली ही घर में रहती है और एक पुत्र है, जो बाहर रहकर काम करता है, महिला का पति कई वर्ष पहले ही दुनिया से गुजर गए हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि महिला की जान जा सकती थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी रामलोचन कोल पर मारपीट एवं हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

इनका कहना है...

जमीनी बात को लेकर विवाद हुआ है,महिला के सर में गंभीर का चोट पहुंची है, आरोपी पर हमने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी अभी फरार है।

सुभाष दुबे थाना प्रभारी, देवलौद
शिविर में उद्यान विस्तार अधिकारी नौरीन फातिमा द्वारा उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ड्रिप एरिगेशन एवं स्प्रिंकलर का प्रयोग करके किसान उद्यानिकी फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं तथा सिंचाई में इन पद्धतियों से जल का संरक्षण भी होता है। मत्स्य विभाग के राजेश श्रीवास्तव द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि खेत तालाबों में मत्स्यपालन करके किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य धिकितसा विभाग की विद्या सिंह ने तथा सहायक कृषि यंत्री सुदामा बैग ने खेती में उन्नत यंत्रों के प्रयोग की जानकारी दी।



स्थानों की मिट्टी निकालकर उसी तसले में रखते जायें।अब एकत्रित की गई पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाकर मिलाकर किसी स्थान पर एक थिड से पांच स्थानों पर नमूना लें। नमूना लेने वाले स्थान से घास-फूस इत्यादि हटा दें। इन सभी स्थानों पर खुरपी या फावड़े की सहायता से लगभग 15 सेंमी (6 इंच) गहरा अंगूठी के व्ही घट्ट आकार का गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाले तथा निकाली हुई मिट्टी को समुचित आकार के प्लास्टिक के तसले में ढक_ कर लेवें। इसी प्रकार सभी चयनित

प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी के नमूने एकत्रित करते समय सावधानियां आवश्यक हैं, खाद के गड्ढे, मैड तथा कुशों के नीचे से नमूने नहीं लेने चाहिए। उस स्थान से नमूना न लें जहां पर खाद, उर्वरक, चूना, जिप्सम या कोई अन्य भूमि सुधारक रसायन तत्काल प्रयोग किया गया हो। ऊसर आदि की वस्त्र से वस्त्र खेत या उसके किसी भाग का नमूना अगल से लें। जहाँ तक संभव हो गोली मिट्टी का नमूना लें अन्यथा उसे छाया में सुखाकर ही प्रयोगशाला में भेजें। नमूनों को खाद के बोरेों, ट्रैक्टर आदि की बैटरी या किसी रसायन आदि से दूर रखें। आदि पोषक तत्व शोषित करने वाली फसलों वाले क्षेत्र के नमूने एवं जहाँ केवल अनाज की फसल ली गई हो तथा डठल एवं तूठ वगैरह खेत में ही छोड़ दियो गये हो, के नमूने अगल कर लेने चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ अधिकतर पानी भरा रहता हो वहाँ से नमूने एकत्र न करें। मृदा अपरदन के कारण जिस क्षेत्र की ऊपरी सतह कटकर बह गई हो

तो उसके नमूने अलग कर लेने चाहिए। यदि नमूना लेने वाला क्षेत्र बड़ा है तो नमूनों की संख्या उसी अनुसूप बढ़ा देनी चाहिए। एकत्रित मृदा नमूनों को न तो उर्वरकों के बारे के पास रखना चाहिए और न ही ही उन पर सुखाना चाहिए। नमूने लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस क्षेत्र में उर्वरक का प्रयोग किया गया है तथा किस में नहीं। नमूने का सही रिकार्ड रखना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराने से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा तथा मिट्टी के विकारों लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की जानकारी मिलती है। इससे उर्वरकों की उपयुक्त तथा लाभकारी दर का निर्धारण किया जा सकता है। मिट्टी परीक्षण कराने पर धनमंत्रां स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें फसल में डालने के लिए पोषक तत्वों की अनुंषा की जाती है। शिविर में उद्यान विस्तार अधिकारी नौरीन फातिमा द्वारा उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ड्रिप एरिगेशन एवं स्प्रिंकलर का प्रयोग करके किसान उद्यानिकी फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं तथा सिंचाई में इन पद्धतियों से जल का संरक्षण भी होता है। मत्स्य विभाग के राजेश श्रीवास्तव द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि खेत तालाबों में मत्स्यपालन करके किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य धिकितसा विभाग की विद्या सिंह ने तथा सहायक कृषि यंत्री सुदामा बैग ने खेती में उन्नत यंत्रों के प्रयोग की जानकारी दी।



खबर संक्षेप

सेवानिवृत्त पश्चात
पुष्पागुच्छ भेंट कर
किया सम्मान



हरिभूमि न्यूज कोतमा। एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्रीय चिकित्सालय में सीएमओ के पद में पदस्थ डॉ मनोज सिंह 31 मई को सेवा निवृत्त हो गये। नवागत सीएमओ डॉ देवेंद्र टुडू ने पदभार ग्रहण करते हुए अस्पताल का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर बनाने का करेंगे प्रयास। डॉ. टुडू हसदेव क्षेत्र में डिप्टी सीएमओ के पद में पदस्थ थे। पूर्व में 1999 से 2015 तक क्षेत्रीय चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

विश्व तंबाकू दिवस पर
बडगांव में जागरूकता
कार्यक्रम संपन्न



हरिभूमि न्यूज उमरिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ग्राम बडगांव पटपरिया टोला में जागरूकता कार्यक्रम के तहत किशोर किशोरियों एवं ग्रामीणों के बीच जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के उपरान्त उपस्थित किशोर किशोरियों को किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता राकेश चौधरी के द्वारा तंबाकू पदार्थ के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई एवं उमंग क्लिनिक एवं परामर्श सुविधाओं पर चर्चा की गई। जिला समन्वयक द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को व्यक्तिगत एवं परिवार के सदस्यों को तंबाकू पदार्थ के सेवन न करने के संबंध में चर्चा की गई। तंबाकू के सेवन से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जिसमें ओरल कैंसर फेफड़े कैंसर किडनी कैंसर लीवर लिवर कैंसर जैसी विभिन्न बीमारियों से जुड़ना पड़ता है। इस अवसर पर 14446 टोल फ्री नंबर एवं 1800 112 356 टोल फ्री नंबर पर किशोर किशोरियों से चर्चा की एवं उपस्थित प्रतिभागियों को नशा नही करने की शपथ दिलाई गई।

विश्व तम्बाकू निषेध
दिवस पर युवाओं
ने ली शपथ



हरिभूमि न्यूज उमरिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार युवा टीम उमरिया द्वारा मां बिरासिनी क्रिकेट स्टेडियम बिरसिंहपुर पाली में आयोजित समर कैप के दौरान बच्चों को तंबाकू और तंबाकू युक्त उत्पाद से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। बच्चों से कहा गया कि अपने परिवार वालों को भी तंबाकू की लत से दूर रखें विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें लोगों से तंबाकू वाले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही अपने मित्रों और परिवार वालों को भी जागरूक करने के लिए कहा गया। कार्यक्रम में बच्चों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नशे की लत से दूर रहने का संकल्प लिया। तंबाकू छोड़ने के लिए लोगों को जागरूक व प्रेरित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। टीम संयोजक हिमांशु तिवारी ने कहा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। लोगों को मादक पदार्थों, नशीली दवाइयों, शराब और विभिन्न प्रकार के नशे से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाता है। समाज, युवाओं और बच्चों को तंबाकू से बने उत्पादों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी, हृदय रोग आदि से बचाव के लिए जन जागृति लाना है। इस दौरान टीम संयोजक हिमांशु तिवारी, खुशी सेन, सुभद्रा बैगा, आस्था तोमर, आनंद विश्वकर्मा, आलिया सिंह, माही पटेल, पलक सिंह, संजीवनी पटेल, आरुष शिवहरे, अमन बर्मन, ऋषभ रजक, रुद्र प्रधान व सभी उपस्थित रहे।



4 जून को ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों का महा सम्मेलन

कमिश्नर,कलेक्टर, सीईओ ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज उमरिया। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में पाली में पेशा ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों का महा सम्मेलन 4 जून को आयोजित होगा। कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता, कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, सीईओ जिला



पंचायत अभय सिंह ने पाली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के कार्यक्रम स्थल, मंच व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सेंफ हाँउस, ग्रीन हाउस, हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह, एसडीओ पी श्री बोहित, एसडीएम पाली अम्बिकेश प्रताप सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जी.आर.गायकवाड़, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, सरोज सिंह, कार्यपालन यंत्री आरईएस श्री मार्को, मुख्य अभियंता बिजली विभाग, सीईओ पाली कन्हाई कुंवर, तहसीलदार डी.एस.मरावी, नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

विधिक साक्षरता शिविर संपन्न



हरिभूमि न्यूज उमरिया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार गुप्ता एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया मोहन डावर के मार्गदर्शन में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर नालसा नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एडीआर सेंटर भवन, जिला उमरिया में आयोजन किया गया। इस अवसर पर बी.डी. दीक्षित, जिला विधिक सहायता अधिकारी उमरिया ने योजना के संबंध में मादक पदार्थों, नशीली दवाइयों, शराब एवं विभिन्न प्रकार के नशे से होने वाले दुष्परिणामों से समाज, युवाओं को अवगत करने, नशा मुक्ति के लिये जनजागृति के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त लुभावने स्वाद और आकर्षक पैकेजिंग के माध्यम से आकर्षक दिखने के लिये बनाया जाता है, इस थीम का उद्देश्य यह है कि कैसे इस तरह की मार्केटिंग रणनीति उपभोक्ताओं को विशेष रूप से युवाओं को लुभाने के लिए डिजाइन की जाती है, जबकि उनके उपयोग से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य परिणामों को छिपाया जाता है। जागरूकता शिविर में लगभग 20 मजदूर, श्री विजय कुमार राय, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम उमरिया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया के कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

हरिभूमि न्यूज उमरिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डॉ एस बी चौधरी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति जिला चिकित्सालय उमरिया में उपस्थित स्टाफ एवं पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों की उपस्थिति में रैली का आयोजन किया गया। रैली के पश्चात कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम आकर्षण का पक्ष पास करना और तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योगों का खुलासा करना है वहीं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ संदीप सिंह ने बताया कि तंबाकू सेवन से 38 प्रतिशत लगभग टीबी का रोग हो रहा है। तंबाकू सेवन से कैंसर हृदय रोग मधुमेह पुरानी फेफड़ों की बीमारी स्ट्रोक बचपन में अंधापन टीबी आदि का प्रमुख जोखिम कारक है। उन्होंने बताया कि बच्चे एवं युवाओं को तंबाकू उत्पादों के प्रति आकर्षण को कम करना है उन्होंने बताया कि बच्चों एवं युवाओं को तंबाकू उत्पादों से बचने के लिए कोटपा एक्ट की धाराओं को विद्यार्थियों में लागू किया जाना आवश्यक है। कार्यशाला के उपरान्त उपस्थित प्रतिभागियों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शपथ दिलाया गया उक्त कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित रहा।



कागजों तक सीमित गोडारु ग्राम पंचायत की नल जल योजना

पूर्व सचिव के कारनामे से बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण

हरिभूमि न्यूज कोतमा। मामला कोतमा जनपद के अंतिम छोर में बसें गोडारु पंचायत का जो की अधिकतर आदिवासी अंचल होने के कारण शासन के योजनाएं सँ वंचित होना पड़ता है क्योंकि पंचायत के ही कुछ ठेकेदारों के द्वारा पंचायत का विकास ना करके खुद अपना विकास कर लिया जाता है।

पूर्व सचिव के राज में गोडारु पंचायत के पब्लिक प्लासी

मिली जानकारी के अनुसार जबसे गोडारु पंचायत में पूर्व सचिव पदस्थ हुए थे तभी पंचायत में भ्रष्टाचार का खेला शुरू हुआ था क्योंकि ये पंचायत इनके गृह ग्राम सँ लगा हुआ था लोकल होने के कारण खुलेआम इनके द्वारा शासन के योजनाओं में बड़े पैमाने पर खेला किया गया इनके ही राज में नल जल योजना का काम चालू किया गया जो लगभग काम भी सफल हुआ घर घर पाइप लाइन बिछाई गयी पानी सप्लाई के लिए टंकी का निर्माडू कराया गया ठेकेदार सँ मिलीभगत कर पुरे पैसे का बंदरबाट कर लिया गया और इस तरह सँ योजना केवल कागजों में रह गयी।

ठेकेदार को दिया खुलेआम भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस

ग्रामीणों सँ मिली जानकारी के अनुसार पंचायत के कामों में जैसे पुलिया निर्माण, स्टाप डैम्प, सीसी रोड वा मुलक्रहितग्राही के कामों ठेकेदार को मे कोतमा जनपद के



एसडीओ व इंजीनियर द्वारा पुर्णरूपेण सँ छूट दे दी गयी हैं और न ही कभी ग्रामीणों के अनुसर रिसीव किया जाता हैं।

15-15 लाख के बने स्टाप डैम्पो ने नहीं हैं एक बूंद पानी

पंचायत एजेंसी के द्वारा 15 लाख रूपए के लागत सँ बनाये गए डैम्प मे नहीं हैं बूंद भर पानी ऐसे किस काम का निर्माडू कार्य की जहां बूंद भर पानी भी न हो और शासन के लाखो

उमरिया द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ किया गया।

विधानसभा निर्वाचन एवं लोक सभा निर्वाचन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए निर्विघ्न चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। फाइलों का समय सीमा में बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया। कलेक्टर ने शिवगोविंद सिंह मरकाम के उज्जवल भविष्य की कामना की है। अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उनके व्दारा किए गये कार्यों से प्रेरणा लें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम ने कहा कि उमरिया जिले में अपर कलेक्टर के पद पर रहते हुए शासकीय कार्यों का निष्पादन किया , जो मेरे लिए सुखद रहा। इस दौरान उन्होने

अपने अनुभव भी साझा किया। उन्होने बताया कि वर्ष 1990 में एमपीपीएससी में चयन हुआ। उसके बाद रीवा जिले के हनुमना तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्य किया। तत्पश्चात डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर तथा अपर कलेक्टर के पद पर कार्य करते हुए अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2022 से सीनियर अपर कलेक्टर के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। इस दौरान अन्य अधिकारी, कर्मचारियों ने भी पुष्प गुच्छ भेंटकर उनके स्वस्थ रहने की कामना की। इस अवसर पर एसडीएम बांधवगढ कमलेश नीरज, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, सीईओ जनपद पंचायत करकेली हरनीत कौर राहते हुए शासकीय कार्यों का निष्पादन किया , जो मेरे लिए सुखद रहा। इस दौरान उन्होने

मामला जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत गोडारु का



सँ संपर्क किया गया तो उन्होंने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा।

इनका कहना हैं

अभी मै अगले हफ्ते ही वहां ज्वाइन किया हुं मुझे जानकारी नहीं हैं कल आपको क्लियर करके बतांगा।

बद्री साहू
सचिव ग्राम पंचायत
गोडारु

खबर संक्षेप

लाटरी से चमकी किस्मत, मनचाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकेंगे बच्चे शहडोल। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय शालाओं में निशुल्क प्रवेश के लिए सत्र 2025- 26 में शहडोल जिले में लगभग 1547 छात्रों द्वारा आवेदन ऑनलाइन किए गए थे। जिसमें सत्यापन पश्चात 1324 आवेदन प्राप्त किए गए थे। उन्होंने बताया कि 29 मई को राज्य शासन द्वारा स्कूल आवंटन हेतु लाटरी की प्रक्रिया की गई। जिसमें 898 छात्रों को शहडोल के 228 विभिन्न अशासकीय विद्यालय में प्रवेश के लिए लाटरी द्वारा सीट आवंटन किया गया। इसकी सूचना आवेदक के मोबाइल नंबर पर 02 जून से 10 जून तक प्रवेश लेने के लिए सूचित किया गया। आवेदक मोबाइल पर प्राप्त मैसेज अनुसार संबंधित विद्यालय में आवश्यक अभिलेख एवं रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ उपस्थित होकर समय सीमा में प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। आपने बताया कि समय सीमा में प्रवेश न लेने पर प्रवेश से वंचित रह जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया होने के कारण निर्धारित समय सीमा के बाद प्रवेश नहीं हो पाएगा। संबंधित अशासकीय विद्यालयों की आईडी पर भी उनकी विद्यालय में निशुल्क प्रवेश हेतु जिन छात्रों का चयन किया गया है उसकी सूचना प्रदर्शित हो रही है संबंधित विद्यालय अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर संपर्क करके समय सीमा में प्रवेश देना सुनिश्चित करें यदि इस प्रक्रिया में किसी विद्यालय के द्वारा जानबूझकर प्रवेश देने से आनाकानी की जाती है तो उनके विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

सिकल सेल के मरीजों को निमोनिया से बचाव के लिए लगाई जाएगी वैक्सीन



शहडोल। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में सिकल सेल के मरीजों को निमोनिया से बचाव हेतु पीसीव्डी-13 वैक्सीन लगाई जाएगी। पीसीव्डी-13 वैक्सीन लगाने के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभागार में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. आनंद प्रताप सिंह, सिकल सेल नोडल अधिकारी डॉ. अंशुमन सोनारे तथा डीपीएचएनो श्रीमती वंदना डोंगरे के द्वारा ब्लॉक स्तर के बीबीई, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर तथा वैक्सीन कोल्ड चेन हेण्डलर एवं वैक्सीनेटर को प्रशिक्षण प्रदान दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि सिकल सेल मरीजों को जिनकी आयु 20 वर्ष से कम है उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी जिसमें प्रथम चरण में 20 वर्ष तक की आयु के 596 मरीजों को चिन्हित कर टीकाकरण का कार्य किया जाएगा, चिन्हित मरीजों को प्रथम चरण में पीसीव्डी-13 वैक्सीन, जिसके 8 सप्ताह बाद पीपीएसव्डी-23 दूसरी खुराक दी जाएगी। यह वैक्सीन जिला चिकित्सालय एवं ब्लॉक मुख्यालय में लगाई जाएगी।

5 जून तक समग्र ई-के.वाय.सी कराने हितग्राहियों से आग्रह कटनी। शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु समग्र ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन हितग्राहियों ने अभी तक समग्र ई-के.वाय.सी नहीं कराया है, वे 5 जून 2025 तक इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करें लें। समग्र ई-के.वाय.सी कराने के लिए नागरिकण समग्र आईडी, आधार कार्ड, स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर के साथ नगर निगम जोन कार्यालय अथवा शिविर स्थलों सहित अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन केंद्र, सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में संपर्क कर सकते हैं। हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा रोजाना शिविरों का आयोजन किया जाकर समग्र से आग्रह ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। नागरिकों से डोर तो डोर संपर्क कर नागरिकों से निर्धारित समयावधि में अपनी समग्र ई-के.वास.सी प्रक्रिया को पूर्ण कराने का भी आग्रह किया गया है।

मप्र शिक्षक संघ का संभागीय त्रिवार्षिक निर्वाचन आज होगा संपन्न: अनिल सिंह

बुढ़ार।मध्यप्रदेश शिक्षक संघ संभाग शहडोल के संयोजक अनिल कुमार सिंह ने अपने लिखित व्यक्तव्य में जानकारी देते हुए बताया कि - मध्यप्रदेश शिक्षक संघ प्रान्त भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना /आदेश अनुसार मध्यप्रदेश के समस्त 09 संभागों का निर्वाचन आगामी 1जून को संपन्न होगा, इसी क्रम में संभाग शहडोल का निर्वाचन 1जून रविवार को अशासकीय भारत माता उच्च० माध्य० विद्यालय शहडोल (पांडव नगर) शहडोल में प्रातः 11बजे से निर्वाचन अधिकारी जी. एम.अग्निहोत्री एवं पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार जैन की उपस्थिति में संपन्न

होगा। म.प्र. शिक्षक संघ संभाग शहडोल के संयोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि - इसी अनुक्रम में शहडोल संभागीय इकाई में अध्यक्ष - 1, सचिव - 1, कोषाध्यक्ष - 1, उपाध्यक्ष - 1, सहसचिव - 1, कार्यकारणी सदस्य - 4, मनोनीत सदस्य - 2 होंगे, संभाग अंतर्गत तीनों जिलों के निर्वाचित पदाधिकारी 25 सदस्यों के मान से कुल 75 पदाधिकारी संभागीय इकाई के निर्वाचन हेतु मतदाता होंगे, तथा संभाग शहडोल अंतर्गत तीनों जिलों क्रमशः शहडोल, अनूपपुर, उमरिया के वर्ष 2024 की सामान्य मतदाता सूची के सभी सदस्य



उम्मीदवार हो सकेंगे, शिक्षक संघ से निष्कासित सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेंगे, जो व्यक्ति दो पदावधि तक लगातार जिस पद पर रह चुके है, उक्त व्यक्ति उस पद हेतु पुनः उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे एवं सेवा अवधि भी निर्वाचन तिथि से 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए अर्थात जिनकी सेवा निवृत्ति तिथि 30जून 2028 अथवा उसके पश्चात है वही उम्मीदवार हो सकते हैं, इसकी प्रामाणिकता के लिए नामांकन फार्म जमा करते समय उम्मीदवार से जन्मतिथि के प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड, अथवा अंकसूची की छाया प्रति नामांकन के

साथ संलग्न करना होगा, उक्त निर्वाचन प्रक्रिया में समस्त तीनों जिलों के 75 मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक, प्रांतीय पदाधिकारी, प्रांतीय आयाम प्रमुख सहित निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले वर्ष 2024 के सामान्य मतदाता सूची के सदस्य अपेक्षित है। सभी अपेक्षित जनों से आग्रह किया गया है कि निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर संभागीय निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराये। निर्वाचन के संबंध में प्रांत द्वारा दिये गये दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

10 सालों से जमे तहसील बाबू को हटाने की मांग सगे संबंधियों के माध्यम से कर रहे लेन देन



ब्यौहारी। तहसील के अंतर्गत इन दिनों कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 वर्षों से जमे हुए हैं और तहसील आने वाले काशतकारी को इतना परेशान करते हैं कि बिना लिए दिए कोई काम नहीं करते तहसील कार्यालय में पदस्थ राजेश साकेत द्वारा लोगों से बिना लिए दिए कोई काम नहीं किया जाता राजेश साकेत स्वयं तो है अपने भाई संजय साकेत को भी तहसील में रख लिए जो तहसील में बैठा रहता है और पैसे को सेंटिंग बनता है पैसे

की सेंटिंग हो जाने के बाद ही लोगों का ही काम कराता है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी राजेश साकेत द्वारा अपने साले को भी तहसील में अधिकारियों से सेंटिंग बना कर रखवा लिया इस तरह से टीम बनाकर लोगों से सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है क्षेत्र के लोगों ने ऐसे बाबू को कई सालों से जमे हैं उनको हटाने की मांग की है इसके अलावा उनके सगे संबंधियों को हटया जाए जिससे तहसील में दलाली को खत्म किया जा सके।

कमला नर्सिंग कॉलेज पाली का परिणाम रहा शतप्रतिशत

बिरसिहपुर पाली। जिले में संचालित प्रतिष्ठित संस्था कमला नर्सिंग कॉलेज का जीएनएम द्वितीय एवम तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम शतप्रतिशत होने पर संचालक विकास पटेल ने जानकारी देते हुए बच्चों और शिक्षकों को दी बधाई संचालक द्वारा बताया गया



के शिक्षकों के परिश्रम की वजह से संभव हो पाया है संचालक द्वारा कहा गया की हम उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है

संस्था की प्राचार्य और शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए छात्रओं को बधाईयाँ दी और क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है जिसमे संस्था की छात्रा वैशाली बर्मन प्रथम स्थान , जया सिंह द्वितीय स्थान सुनहला प्रजापति तृतीय स्थान प्राप्त किया है

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया गया कार्यक्रम



शहडोल। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए भाषण, रंगोली, चित्रकला इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य छात्रों को लोकमाता के जीवन-मूल्यों से परिचित कराना तथा उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करने की प्रेरणा देना था। कार्यक्रम में बताया गया कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन अत्यंत बहुआयामी रहा है। राजनीति, आध्यात्म,

समाज और धर्म सभी क्षेत्रों में अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए सुशासन का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, जो आज भी समकालीन राजनीतिज्ञों तथा प्रशासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अहिल्याबाई ने महिला उत्थान, मंदिरों की जीर्णोद्धार तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्रचना के माध्यम से भारतीय जनमानस की चेतना का नव निर्माण किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर गीता सराफ, डॉ. चेतना सिंह, डॉ. पूर्णिमा शर्मा, सुश्री प्रिंसी सिन्हा तथा डॉ.प्रो.विनोद कुमार शर्मा, डॉ.गोविंद पांडे एवं विश्वविद्यालय के अन्य प्राध्यापक उपस्थित थे।

कृषि शिविर में किसानों को दी गई कचरे से वेस्ट डीकंपोजर तैयार करने की जानकारी

कृषि शिविर में किसानों को दी गई कचरे से वेस्ट डीकंपोजर तैयार करने की जानकारी

शहडोल। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिले में कृषि विभाग तथा सहयोगी विभागों कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी तथा मत्स्यपालन विभाग के अमल द्वारा बुढ़ार, सोहागपुर तथा गोहपारू जनपद पंचायतों के तीन-तीन ग्रामों में कृषि शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं। बुढ़ार जनपद पंचायत के ग्राम गिरवा में कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति के मार्गदर्शन में कृषि शिविर का आयोजन कर किसानों को कृषि संबंधी जानकारी दी गई तथा किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में किसानों को खेती को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी गई। खेती की उन्नत तकनीक, फसलों के आधुनिक और उन्नत बीज, कृषि में किए जा रहे नवाचार,



प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण के संबंध में भी किसानों को जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी.के.प्रजापति ने किसानों को पूसा डीकंपोजर खाद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका प्रयोग जैविक कचरे से तत्काल खाद बनाने के लिए किया जाता है तथा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बड़े पैमाने में केंचुए पैदा होते हैं और पौध की बीमारियों को रोकने

के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको देशी गाय के गोबर से सूक्ष्म जैविक जीवाणु निकाल कर बनाया गया है। वेस्ट डीकंपोजर की 30 ग्राम की मात्रा की पैकड बोतल 20रु. प्रति बोतल बेची जाती है। उन्होंने किसानों को कचरे से वेस्ट डीकंपोजर तैयार करने का तरीका बताते हुए कहा कि 2 किलो गुड़ को 200 लीटर पानी वाले प्लास्टिक के ड्रम में मिलाएं। अब एक बोतल वेस्ट डीकंपोजर को गुड़ के घोल में मिला दें। ड्रम में सही ढंग से वेस्ट डीकंपोजर मिलाने के लिए लकड़ी के डंडे से मिलाएं। घोल के ड्रम को ढक दें और प्रत्येक दिन 1-2 बार इसको पुनः मिलाएं। 5 दिनों के बाद ड्रम का घोल क्रीमी हो जाएगा यानि एक बोतल से 200 लीटर वेस्ट डी कंपोजर घोल तैयार हो जाता है। किसान उपरोक्तानुसार 200 लीटर तैयार वेस्ट डीकंपोजर घोल से 20 लीटर लेकर 2 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी के साथ एक ड्रम में दोबारा घोल बन सकते हैं। वेस्ट डीकंपोजर का उयोग 1000 लीटर प्रति एकड़ किया जाता है। इसके प्रयोग से सभी प्रकार की मिट्टी

(क्षारीय एवं अम्लीय) के रसायनिक एवं भौतिक गुणों में 21 दिनों के भीतर सुधार आने लगता है तथा 6 माह के भीतर एक एकड़ भूमि में 4 लाख से अधिक केचुए मृदा में पैदा हो जाते हैं। कृषि कचरा, जानवरों का मल, किचन का कचरा तथा शहरों का कचरा जैसे सभी नाशवान जैविक सामग्री 40 दिनों के भीतर गल कर जैविक खाद बन जाती है। उद्यान विस्तार अधिकारी आशीष चौकसे ने किसानों को वेस्ट डीकंपोजर के छिड़काव से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए बताया कि वेस्ट डीकंपोजर का पौधो पर छिड़काव करने से सभी प्रकार का बीमारियों पर रोक लगती है। वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग करके किसान बिना रसायन, उर्वरक व कीटनाशक के फसल उगा सकते हैं। इससे यूरिया, डीएपी या एमओपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वेस्ट डीकंपोजर का प्रयोग करने से सभी प्रकार की कीटनाशी/फफूंदनाशी और नाशी जीव दवाईयों का 90 प्रतिशत तक उपयोग कम हो जाता है क्योंकि यह जड़ों की और तनों की बीमारियों को नियंत्रित करता है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर निकाली गई जागरूकता रैली

शहडोल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय शहडोल परिसर से जय स्तंभ चौक तक सिविल सर्जन डॉ.शिल्पी सराफ के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। सिविल सर्जन डॉक्टर शिल्पी सराफ ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। सिविल सर्जन ने तंबाकू के उपयोग न करने, तंबाकू नियंत्रण कानून का पालन करने की समझाईश दी। उन्होंने बताया कि तम्बाकू के सेवन से कैंसर, मुह से संबंधित बीमारियों के संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉ. पुनीत श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभाग रोशन शर्मा, सहायक प्रबंधक जिला अस्पताल शहडोल श्रीमती पूजा सोनी, धीरेंद्र श्रीवास्तव, रजनीश गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला उपस्थित था।



सिविल सर्जन परिवारिक कार्यों के साथ निभा रही अपना कर्तव्य

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध

शहडोल। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र, देश की रक्षा करने की बात हो। हर क्षेत्र में महिलाएं अपने पारिवारिक दायित्वों को निभा रही हैं। संभागीय मुख्यालय के जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ अपने पेशेवर कर्तव्यों के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए वे जनहित में सतत कार्यरत हैं। डॉ. सराफ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीकाकरण अभियान ब्लड बैंक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे कई मोर्चों पर उन्होंने बेहतरीन नेतृत्व दिया है। डॉ. शिल्पी सराफ ने बताया कि जिला चिकित्सालय शहडोल में वर्ष 2009 से पदस्थ हूं। इस दौरान मैंने जिला चिकित्सालय शहडोल के हर वार्ड में काम किया है, चाहे वह महिला वार्ड हो, चाहे वह शिशु वार्ड हो,ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड बैंक की सारी एक्टिविटीज में मैंने काम किया है। यहां मैंने रात्रि ड्यूटी में भी कार्य किया है। महिला होने के नाते मैंने देखा है कि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती हैं, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, हर महिला के सामने यह चेलेंज रहता है कि उसे बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा,



संस्कार दिया जाए। माता-पिता की जिम्मेदारियां भी रहती हैं, पारिवारिक दायित्वों के साथ बैलेंस बनाकर जाँब करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इन दायित्वों के निर्वहन में जब तक आपके परिवार एवं सहकर्मी के सहयोग की आवश्यकता होती है। मैं कहना चाहूंगी कि आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, इसके लिए हम सबको समाज में आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भी महिलाओं को आगे लाने के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं प्रोत्साहन मिल रहा है, गवर्नमेंट जाँब में भी आरक्षण मिल रहा है, इन सब नीतियों के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद देना चाहती हूं। इन सभी नीतियों से महिलाओं का मनोबल काफी बढ़ा है।



खबर संक्षेप

राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस पर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों का राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने किया सम्मान



हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई के अवसर पर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद जिला इकाई अनूपपुर के तत्वाधान में जिले के वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष व संभागीय प्रभारी राजेश शुक्ला, संभागीय अध्यक्ष चैतन्य मिश्रा, जिला इकाई अनूपपुर के अध्यक्ष अमित शुक्ला एवं राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए गए अंकित शुक्ला वरिष्ठ पत्रकारों के निवास में पहुंचकर शाल श्रीफल से पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले पत्रकारों में अनूपपुर से लक्ष्मी नारायण शुक्ला, राजेश शिवहरे, अरविंद बिायनी, प्रेम अग्रवाल, संतोष झा, राम नारायण पाण्डेय, कोतमा के विर भूषण गौतम, संतोष मिश्रा तथा देवेश सिंह गहरवार के नाम शामिल है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण शुक्ला ने कहा कि यह पहली बार हैं जब कोई पत्रकार संगठन ने वरिष्ठ पत्रकारों की खबर ली है और पत्रकारों के निवास में पहुंच कर सम्मान दिया है यह हमारे लिए अविस्मरणीय छड हैं। जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण पाण्डेय ने कहा कि राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद की यह अच्छी पहल है इससे पता चलता है कि आज भी वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान पत्रकारों में हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश शिवहरे ने कहा कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आपकी राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने मेरे निवास में पहुंचकर मेरा यह जो सम्मान किया है इसके लिए मैं आपकी संस्था और आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत आभारी हूं, मेरी पत्रकारिता को 45 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं मगर अफसोस आज तक किसी पत्रकारों की संस्था ने मेरी निवास पर पहुंच कर इस दृग से मेरा सम्मान नहीं किया है, एक बार पुनः आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत-बहुत आभार। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम अग्रवाल ने कहा कि 46 वर्षों की पत्रकारिता में आज राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने किया हैं जो पत्रकारों के निवास में पहुंचकर हमारी पत्रकारिता का सम्मान किया हैं। पत्रकार संतोष झा ने इस सम्मान के लिए राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद का धन्यवाद देते हुए कहा कि अविस्मरणीय छड हैं जो आप ने किया हैं यह अन्यर संगठनों को भी करना चाहिये।

अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक को डायल-112/100 एफआरव्ही ने पहुँचाया अस्पताल

हरिभूमि न्यूज, अनूपपुर। अनूपपुर के थाना करणपठार क्षेत्र के खाले दूधी गाँव में एक एक्सिडेंट हो गया है, 01 व्यक्ति घायल हो गये हैं, पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112/100 भोपाल में दिनांक 29-05-2025 को रात्रि 08-22 बजे प्राप्त हुई। सूचना प्राप्ति पर तत्काल करणपठार थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112/100 वाहन को मदद के लिए रवाना किया गया।

आदिम जाति सहकारी समिति निर्वाचन को लेकर हुई थी शिकायत, भंग हुई समिति, दोबारा निर्वाचन के निर्देश

निर्वाचन रद्द, प्रक्रिया में हुई थी लापरवाही

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अनूपपुर में हुए निर्वाचन को लेकर जारी प्रकरण में फैसला सामने आया है जिसमें समिति के निर्वाचन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। उप पंजीयक सहकारी संस्था जिला अनूपपुर को निर्देशित किया गया है कि संस्था में मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाए और इसके पश्चात विधि अनुसार संचालक मंडल के नवीन निर्वाचन कराए जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। जारी निर्णय आदेश के अनुसार म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/23 रामनाथ पटेल विरुद्ध ललन पटेल एवं अन्य 12 सहित तथा प्रकरण क्रमांक 41/23 में अन्य 09 का सामूहिक आदेश पारित किया गया है। न्यायालय के आदेश दिनांक 28 जनवरी 2025 में उप पंजीयक राहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 6401/2023 24 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है और इस प्रकरण में निर्वाचन विवाद को अधिनियम की धारा 67(3) के अनुपालन में प्रतिवादियों को तीन माह की अवधि के बीच अपने साक्ष्य प्रस्तुत



करने को कहा गया था तारीख पेशी दिनांक 3 मार्च 2025 को उमय पक्ष द्वारा उपस्थित होकर अपनी पेशी रखी गई जिसमें पेशी पर प्रतिवादी साक्षी कौशल पटेल, सूरज पटेल, सीताराम पटेल समेत तीन अन्य प्रतिवादियों की ओर से पक्ष रखा गया। लेकिन अन्य प्रतिवादी अनुपस्थित पाए गए। पूरे मामले में न्यायालय द्वारा उमय पक्षों के तर्कों को सुनते हुए अपने निर्णय को सुरक्षित रखा गया।

सभी पक्षों को सुनकर न्यायालय ने दिया फैसला

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अनूपपुर में हुए निर्वाचन में

गड़बड़ी की शिकायत को लेकर प्रतिवादी ललन पटेल के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी गई थी जिस पर प्रकरण में न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनते हुए उनके तर्कों का अवलोकन किया गया तत्पश्चात वादी ललन पटेल पिता जगदीश पटेल के द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 64(2) के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिस पर निर्वाचन अधिकारी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर एवं 12 अन्य को प्रतिवादी माना गया था जिस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियोजन पत्रों की जांच में प्राप्त आपत्तियों का न तो निराकरण किया गया और ना ही कोई कार्यवाही की गई जिस पर न्यायालय ने इस प्रतिवाद को वैध पाते हुए नियमानुसार जांच की गई और उभय पक्षों को पक्ष रखने का मौका भी दिया गया लेकिन उभय पक्ष द्वारा अपना जवाब सही तरीके से नहीं रखा गया और न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर अपना अंतिम निर्णय सुनाया है।

नए निर्वाचन के निर्देश

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर में पूर्व

में हुए निर्वाचन प्रक्रिया को रद्द करने का निर्देश जारी किया गया है जीपीएस भदोरिया उप पंजीयन सहकारी संस्था शाहडोल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उक्त निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल चुना गया था वह पूरी तरह से तथ्यहीन और जिस पर अभ्यर्थियों को ना तो सही तरीके से जानकारी दी गई और ना ही उन्हें संतुष्ट किया गया था जिस पर प्रतिवादी ललन पटेल के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और उनका पक्ष सही पाया गया है जिस पर उप पंजीयक सहकारी संस्था जिला अनूपपुर को निर्देश किया गया है कि संस्था में मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में प्रशासक की नियुक्ति की जाए और इसके पश्चात विधि अनुसार संचालक मंडल के नवीन निर्वाचन संपन्न कराने की प्रक्रिया भी पूर्ण की।

पूर्व में निर्णय को दी गई थी चुनौती फिर हुई

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर में वर्ष 2022 से 27 के संचालक मंडल के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की गई थी उक्त निर्वाचन याचिका को न्यायालय उप पंजीयन सहकारी संस्था ने प्रकरण को पारित करते हुए दिनांक 11 मई 2023 को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अनूपपुर के संचालक मंडल का निर्वाचन नुति पूर्ण एवं वैधानिक होने से निरस्त कर दिया था, साथ ही उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला अनूपपुर को यह निर्देशित किया गया कि उक्त संस्था में प्रशासक की नियुक्ति करें और इसके पश्चात 4 माह के भीतर संचालक मंडल के नवीन निर्वाचन संपन्न कराया जाए लेकिन इस पर उभय पक्ष के द्वारा दोबारा अपील की गई और इसके पश्चात भी अपने साक्ष्य को उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका तत्पश्चात प्रतिवादी ललन पटेल के आवेदन पर न्यायालय उप पंजीयन सहकारी संस्था शाहडोल ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया है।

नीलकंठ बना शोषण का अड़ा, एसईसीएल की छाया में मजदूरों की खुलेआम हत्या

कानून का कल, इंसानियत की मौत, नीलकंठ कंपनी में मजदूर बनते हैं गुलाम

हरिभूमि न्यूज बदरा/जमुना। जहाँ सरकारें श्रमिक कल्याण के ढोल पीटती हैं, वहीं धरातल पर नीलकंठ जैसी कंपनियाँ मजदूरों का खून निचोड़कर मुनाफे की मलाई चाँट रही हैं एसईसीएल के अंतर्गत काम कर रही नीलकंठ कंपनी ने ठेका मजदूरों को नर्क जैसी हालत में झोंक दिया है और सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे, कंपनी का नाम भले ही नीलकंठ हो, मगर इसकी करतूतें विषकंठ से कम नहीं। यहाँ मजदूरों को मानव नहीं, सिर्फ नंबर समझा जाता है सुरक्षा, स्वास्थ्य, वेतन, पहचान ये सब शब्द नीलकंठ की डिक्खनरी में ही नहीं हैं। नीलकंठ कंपनी को देखकर लगता है जैसे यह किसी खनन कंपनी की आड़ में चल रही शोषण की संगठित फैक्ट्री है, जहाँ इंसान को सिर्फ उतना ही ज़िदा रखा जाता है जितना मुनाफ़ा लाने के लिए, ज़रूरी हो बाकी सब उसकी ज़िदगी से धीरे-धीरे काट दिया जाता है ट्रेनिंग, सुरक्षा, मेडिकल, सम्मान, अधिकार।

अनुबंध श्रम (विनियमन और समाप्ति) अधिनियम, 1970

इस अधिनियम की धारा 29 कहती है कि हर ठेका मजदूर का रिकॉर्ड फॉर्म "ए" और फॉर्म "डी" में दर्ज होना चाहिए यदि कोई श्रमिक अपने हक (जैसे, मजदूरी, मुआवज़ा, या बीमा) के लिए कानूनी कार्रवाई करता है, तो ये फॉर्म महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करते हैं ये फॉर्म सुनिश्चित करते हैं कि श्रमिकों को उनके अधिकार जैसे न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम, और अन्य सुविधाएं, समय पर और पूरी तरह मिलें लेकिन नीलकंठ के यहाँ मजदूरों की मौजूदगी कागज़ पर शून्य है वो हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में भूत हैं और जब दस्तावेज़ों में नाम नहीं होगा, तो वो न बोसस के अधिकारी बनते हैं, न ग्रेयुटी के, न पीएफ के, न मुआवज़े के यह सिर्फ नियम की अनदेखी नहीं, एक सुनिश्चित लूट है, जिसमें मजदूर की मेहनत का हिसाब किसी और की जेब में जाता है।

नीलकंठ कंपनी खनन के नाम पर शोषण की खान



क्या कहता है माइन्स एक्ट, 1952 एवं माइनिंग रूल्स

यह कानून स्पष्ट कहता है कि खदान क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक को बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है प्रशिक्षित बिना किसी को खदान में नहीं उतारा जा सकता यह सुरक्षा का बुनियादी नियम है परंतु नीलकंठ कंपनी में बिना बीटीसी के ही मजदूरों को खदानों में झोंक दिया जाता है यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि मजदूरों की जान को जानबूझकर जोखिम में डालने के बराबर है। धारा 40, माइन्स एक्ट के अनुसार हर मजदूर का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, लेकिन नीलकंठ में ये शब्द केवल मजाक बन चुके हैं सिलिकोसिस, फेफड़ों की बीमारियाँ, कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ इन मजदूरों के जीवन में आम हो गई हैं, लेकिन कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं। मेडिकल सुविधाएं, एम्बुलेंस, कैटीन सब सिर्फ नियमों की किताब में हैं, ज़मीनी सच्चाई में नहीं। ठेकेदार को श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करनी होती हैं मेडिकल कार्ड श्रमिकों को आर्थिक बोझ से बचाता है, क्योंकि खनन क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक कम आय वर्ग से होते हैं। यह उनके परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चे) को भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन नीलकंठ कंपनी इस कानून की खुली अवहेलना कर रही है। कंपनी ने न तो अपने श्रमिकों को कोई मेडिकल कार्ड उपलब्ध कराया है, न ही उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की है। यह न केवल एक कानूनी उल्लंघन है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत निंदनीय है यह

स्थिति दर्शाती है कि नीलकंठ कंपनी केवल मुनाफ़ा कमाने में रुचि रखती है, लेकिन श्रमिकों की बुनियादी ज़रूरतों और अधिकारों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है यह न केवल कानून की नज़र में अपराध है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार है। नीलकंठ एसईसीएल से एचपीसी रेट पर करोड़ों की रकम हर रविवार वसूलती है, लेकिन मजदूरों के पुराने दर पर ही भुगतान किया जाता है ये सीधे तौर पर न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन है सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मानकों से कम वेतन देना अपराध है, लेकिन यहाँ यह अपराध प्रतिदिन और खुलेआम किया जा रहा है।

क्या कहता है मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

कानून कहता है कि हर मजदूर को वेतन की पच्ची देना अनिवार्य है लेकिन नीलकंठ में किसी को नहीं दिया जाता मेडिकल कार्ड भी नहीं बनाया जाता जिससे मजदूरों पर आश्रित परिवारों को सही मेडिकल सुविधा मिल सके और सही इलाज करा सके यह एक रणनीतिक तरीका है की मजदूर को हर उस दस्तावेज़ से दूर रखा जाए जो उसके अधिकारों को साबित कर सके।

प्रशासन की चुप्पी: मिलीभगत या मय

यह सब प्रशासन की आँखों के सामने हो रहा है। कलेक्टर, एसडीएम, श्रम अधिकारी, डीजीएमएस, खनिज निरीक्षक ये सभी जानते हैं कि नीलकंठ में श्रम कानूनों का खुला चौरधरण हो रहा है फिर भी कोई जांच, कोई जाप, कोई एफआईआर नहीं क्या यह चुप्पी दबाव की है या दाम की? क्या मजदूरों की जान अब आँकड़ों में दर्ज होने लायक भी नहीं रही? कई बार लगता है कि कानून अब सिर्फ सराबों पर चलने के लिए बना है अगर कोई मजदूर बीमार पड़ जाए, तो इलाज नहीं अगर वह दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो मुआवज़ा नहीं और अगर वह मर जाए तो बस एक संवेदना का झूठा बयान, और उसकी जगह दूसरा मजदूर ताला दिया जाता है यह सब देखकर सवाल उठता है।

अर्जुन देव जी की शहीदी पर आयोजित किये गए विभिन्न कार्यक्रम

हरिभूमि न्यूज कोतमा। पिछले के पांचवे गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी पर शुक्रवार को गुरु सिंह रम्भा गुरुद्वारा जमुना कॉलोनी में मनाया गया। इस मौके पर बाहर से आए एवं स्थानीय सत्संगियों ने कीर्तन दरबार सजाया। 1 घंटे तक कीर्तन दरबार का आयोजन चलता रहा उसके बाद शाम तक लंगर रूपी प्रसाद एवं मीठे जल का वितरण किया गया जिसमें समाज के अलवा आस पास के क्षेत्र से भी लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह उद्घाटन तिरुप्रसाद जगरेल सिंहए हरजीत सिंहए सुखविंदर सिंहए गुरमीत सहित अन्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से धार्मिक संगीतए कीर्तन से हुई एवं समाजग लंगर के साथ किया गया। भारी संख्या में लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचते हुए माथा टेका।

श्री गुजरात
ग्रेनाइट एण्ड टाईल्स

ग्रेनाइट शेरा बाण्ड
उत्तम क्वालिटी
कम दामों में उपलब्ध

फुटकर एवं थोक विक्रेता

पता - तहसील कार्यालय के पास, जैतहरी रोड, अनूपपुर
संपर्क करें - 7742294629, 7440984719

फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, गबन सहित इसी एक्ट की धाराओं के मामले नौ दिन बाद भी नहीं हुई प्रबंधन की गिरफ्तारी

हरिभूमि न्यूज अनुपपुर। हमेशा ही गरीबों के राशन में हेरा फेरी एवं शासकीय योजनाओं का बंटाधार किए जाने को लेकर सुर्खियों में रहने वाले देवगांवा सोसायटी अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 161 क्विंटल चावल एवं गेहूं कुल कीमती 5 लाख 87 हजार रुपए के गबन किए जाने के मामले में प्रबंधक एवं सेल्समैन सुरेंद्र पांडे के खिलाफ थाना भालूमाड़ा में फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, गबन सहित इसी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

फालोअप

पुलिस व विभाग की कार्यशैली में

उठ रहे सबाल, मिलीभगत का

ग्रामीण लगा रहे आरोप

गरीबों का निवाला राशन घोटाले जैसे संगीन मामले दर्ज होने के 09 दिनों बाद भी अभी तक आरोपी सुरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राशन डकारने वाले आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 112 क्विंटल चावल एवं 49 क्विंटल गेहूं को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गबन एवं धोखाधड़ी करते हुए राशन चोरी की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी। 4 मई को प्रबंधक सुरेंद्र पांडे 90 क्विंटल चावल चोरी होने एवं चोरों द्वारा नया ताला लगाने की मगनदत कहानी रची गई। जिला प्रशासन की निगरानी में जांच पुलिस एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अलका पटेल द्वारा की जा रही थी। 23 मई को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रबंधक सुरेंद्र पांडे के खिलाफ थाना भालूमाड़ा में धारा 318 (4), 316(2), 316(5) बीनएस एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 इसी एक्ट में मामला दर्ज कराया गया। अपराध दर्ज होते ही आरोपी फरार होने में सफल हो गया। पुलिस के

गरीबों का निवाला छीनने वाले पीडीएस दुकान के प्रबंधक पर मामला दर्ज



द्वारा लगातार आरोपी के घर एवं संभावित ठिकानों में छापा मारते हुए गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है।

इनका कहना है

दोषी प्रबंधक पर मामला दर्ज हो चुका है, पीडीएस का प्रभार मुकेश मिश्रा को दिया गया है, विभागीय कार्यवाही जारी है।

अनुज ओहदार

सहकारिता विस्तार अधिकारी

सचिव की करामात-स्वीकृत, पीसीसी मार्ग नहीं हुआ प्रारंभ

नवंबर 2025 में ग्रामसभा से मिल गया अप्रूवल

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले के ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम पर है। हम बात कर रहे हैं जिले के जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत चोलना का जहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चोलना में मनरेगा मद से तीन पीसीसी मार्ग स्वीकृत है, जिनका निर्माण कार्य चार माह बाद भी प्रारंभ नहीं हो सका, पहला पीसीसी रोड नाली सहित मुख्य मार्ग से जगदीश पनिका के घर तरफ जिसकी लागत 7 लाख 8000 रुपए, जिसका ग्राम सभा अप्रूवल



दिनांक 14 11.2024 एवं टीएस दिनांक 13.2.2025 है। दूसरा पीसीसी मार्ग एक तरफ नाली विष्णु केवट के घर से तिरहु केवट के घर तरफ जिसकी लागत 4 लाख 63000 रुपए है, इस मार्ग का भी अप्रूवल 14.11.2024 एवं टीएस दिनांक 13.2.2025 है, तीसरा पीसीसी मार्ग दोनों तरफ नाली मुख्य मार्ग से शांति धाम तरफ जिसकी लागत 7 लाख 81 हजार रुपए है, इसका भी टीएस दिनांक 13.2.2025 है परंतु इस पीसीसी मार्ग का पंचायत अप्रूवल दिनांक 14.11.2025 है, वर्तमान में माह मई चल रहा है और इस मार्ग का तकनीकी स्वीकृति 13 फरवरी 2025 को हो गया था फिर बिना नवंबर आए उक्त दिनांक में

पंचायत का बैठक अथवा ग्राम सभा की बैठक 6 महीना पूर्व कैसे दर्ज हो सकता है, अप्रूवल नवंबर 2025 का कैसे सिस्टम में अपलोड है, यहीं पर चोलना पंचायत के सचिव रमाकांत का करामात गोलमाल नजर आता है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं सचिव रमाकांत के द्वारा सरपंच के साथ मिली भगत करके लांघ दी गई है और सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर रमाकांत सचिव के द्वारा 8 माह पूर्व अप्रूवल पीसीसी मार्ग और 4 महीने पूर्व तकनीकी स्वीकृत प्राप्त पीसीसी मार्गों का निर्माण प्रारंभ नहीं कराया जा सका है, क्या इसमें भी इनका कोई विशेष भ्रष्टाचार करने की योजना बन रही है।